कार्यालय नगर पर्षद, आदित्यपुर

परमिट संख्या : 1712

दिनांक : 31-12-12

सेवा में,

Nav Nirman Builders & Developers Pvt. Ltd
M-9 (Old) Housing Colony, Adityapur, Jamshedpur-13

महाशय,

Housing Board Plot No C2/26 मौजा. Dindli .थाना Adityapur पर भवन निर्माण हेतु आपके द्वारा दिये गये आवेदन के आलोक में Gr.Floor (Parking) 1st to 6th floor (Residential) भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्त्तों पर दी जाती है:–

1. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या में वृद्धि नहीं होगी जबतक इसकी विधिवत् स्वीकृति नहीं ली जायेगी।
2. निर्माण की गुणवत्ता झारखण्ड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक की विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माण, कार्य एवं संरचना के सही रूपांकरण एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्त्ता पर होगी।
3. भुखण्ड के सामने चाहरदीवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन उपनियम के अनुसार किया जायेगा।
4. निर्माण कार्य के आरम्भ होने की सूचना नगर पर्षद, आदित्यपुर कार्यालय को देनी होगी तथा प्लींथ/भूमि तल पर कार्य आने के पश्चात् इसकी जाँच (दस दिनों के अन्दर) कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य जारी रखा जायेगा।
5. निर्माणकर्त्ता को समुचित जल आपूर्त्ति की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. निर्माणकर्त्ता को निजी ट्रांसफरमर की व्यवस्था करनी होगी। भवन में विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ध्वनि एवं प्रदूषण रहित पर्याप्त क्षमता का जेनरेटर लगाना होगा।
7. अग्निशमन विभाग के पत्रांक 530 दि० 28.12.12 द्वारा दिये गये सुझावों को अनुपानल सुनिश्चित करना होगा। प्रत्येक तल पर पर्याप्त क्षमता का अग्निशामक यंत्र लगाना होगा। यदि अग्निशमन विभाग द्वारा कभी कोई विशेष निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना होगा।
8. Rain Water Harvesting के साथ Ground Water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
9. पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। Main Swear से connection सुनिश्चित करना होगा। Sewerage plant स्थापित करने पर सार्वजनिक जल श्रोत (यथा जल उदगम, जलधारा, तालाब आदि) का पानी दुषित न हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
10. भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ नगर पर्षद आदित्यपुर को सूचित करना होगा तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना भवन में Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
11. आदित्यपुर बिल्डंग बाईलॉज एवं झारखण्ड अपार्टमेंन्ट अधिनियम 2005 के सभी प्रावधानों का पालन करना होगा।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्त्ता का नाम, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा, स्वीकृत भवन प्लान की परमिट संख्या, कुल स्वीकृत तल एवं कुल स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरन देना होगा। साथ ही क्रेता को स्वीकृत भवन प्लान की अभिप्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी होगी।
13. भवन प्लान की स्वीकृति प्रति प्राप्त करने के पूर्व आवेदक, निर्माणकर्त्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को उपरोक्त शर्त्तो के आशय का एक शपथ पत्र देना होगा।
14. विकासकर्त्ता/संवर्धन/स्थलधारी को झारखण्ड आपर्टमेन्ट सम्पत्ति विनियम एवं स्वामित्व अधिनियम 2005 के अनुकूल विहति सुविधायें निर्मित भवन में प्रदान करनी होगी।
15. जमीन संबंधी किसी तरह का विवाद (यथा छोटनानागपुर कास्तकारी अधिनियम, पहुँच पथ, वन भूमि, सरकारी भूमि, सरकारी/रैयती तालाब या किसी अन्य व्यक्ति के कागजी तौर पर अधिकार क्षेत्र में) उत्पन्न होने पर स्वीकृत्यादेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
16. भवन पर तड़ित चालक का व्यवस्था करना आवश्यक होगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।

अनु० अग्निशमन विभाग का
पत्रांक 530 दि० 28.12.12 (छाया प्रति)

31/12/12
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पर्षद, आदित्यपुर
Municipal Council Adityapur

कार्यालय नगर परिषद,आदित्यपुर

परमिट संख्या : 1455 दिनांक : 9.7.16

प्रेषित,

Nav Nirman Builders & Developers Pvt. Ltd.
M-9 (Old) Housing Colony, Adityapur, Jamshedpur-13

विषय : सशर्त नक्शा पारित करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आपके आवास बोर्ड प्लॉट सं० C2/26 मौजा : दिन्दली थाना आदित्यपुर कुल रकवा 1010.72 M^2 में Ground Floor (Parking) + 1st to 6th Floor (Residential) का भवन प्लान की स्वीकृति कार्यालय के पत्रांक 1712 दिनांक 31.12.12 के द्वारा दी गयी थी। आपके द्वारा Deviated Extension भवन प्लान प्रस्तुत किया गया है कार्य पालक अभियंता आवास बोर्ड के द्वारा पत्रांक 862 दिनांक 8.6.2016 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदन के अनुसार भूमि पर भवन निर्माण हेतु आपत्ति नहीं की गई है। Deviated Extension के प्लान का परिशमन शुल्क एंव लेवर सेस जमा कर दिया गया है। इस भवन प्लान के अनुज्ञप्तिधारी अभियंता लोरेश फांसिस है। भवन मानचित्र की जाँच, स्थल जाँच एंव तकनीकि जाँच श्री कौशलेश कुमार सहायक अभियंता एंव श्री डेविडं औड़ेया कनीय अभियंता नगर परिषद आदित्यपुर द्वारा किया गया है तथा जांचोपरान्त भवन प्लान पारित करने हेतु अनुशंसा की गई है। तकनीकी पदाधिकारियों के अनुमोदन जाँच प्रतिवेदन तथा किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण Condonation of deviation के लिये Bye-Laws के धारा (10.2) में सामंजन हेतु (Appendix –L कांडिका 2.5) में किये गये प्रावधानों के अनुसार समायोजित करते हुये Deviated Position 7th floor (Residential) Regularised की औपबंधिक स्वीकृति निम्न शर्त्तों पर दी जाती है :–

1 अग्निशमन विभाग के पत्रांक 328 दिनांक 24.06.16 के द्वारा दिये गये निदेशो का अनुपालन करना होगा । साथ ही नगर परिषद आदित्यपुर एवं सरकार के द्वारा समय समय पर निर्गत परिपत्रों के द्वारा कोई विशेष निर्देश प्रसारित किया जाता है तो उसका पालन करना अनिवार्य होगा। वर्तमान में इस भवन निर्माण के साथ–साथ निम्न अग्निशमक सुविधाए देनी होगी यथा Access, Means of Escape, Compartmentation, Exit Sign, Extinguishers, Hose Real, Sprinkler, Over Head Tank, Buster Pump, MCB/ELCB and Fireman's Grounding Switch आदि देना अनिवार्य होगा। साथ ही National Building Code के अनुसार अग्निशमन संबधित व्यवस्था तथा निमार्ण कार्य करना अनिवार्य होगा।

2 भविष्य मे किसी भी प्रकार का Deviation नही करना सुनिश्चित करेगें यह अन्तिम Regularisation माना जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर स्वीकृत्यादेश बिना नोटिस दिये किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा एवं संबंधित भवन निर्माता पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी एवं उसका सारा खर्च भवन निर्माता को वहन करना होगा एवं स्वीकृत्यादेश रद्ध होने पर नगर परिषद से किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं हेागा।

9.7.16

कनिय अभियंता नगर परिषद, आदित्यपुर	सहायक अभियंता नगर परिषद, आदित्यपुर	कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, आदित्यपुर

9.7.16

ज्ञापांक 1455 दिनांक 9.7.16

प्रतिलिपि : लोरेश फांसिस अनुज्ञप्तिधारी अभियंता को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि झारखण्ड म्यूनिसिपल एक्ट 2011 के धारा 431 के तहत प्रासंगिक निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय जमा करना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, आदित्यपुर

9.7.16